राजस्थान सरकार

राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

क्रमांक :–एफ 8 / 34 / राम / कृषि / सांख्यिकी / 2021–22 / 11130–60 दिनांक 30/8/2022

जिला कलेक्टर (भू. अ.)

....

विषयः–मिलान खसरा एवं पूरक मिलान खसरा वर्ष 2021–22 भिजवाने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मिलान खसरा एवं पूरक मिलान खसरा वर्ष 2021–22 की सूचना मण्डल कार्यालय में प्राप्त होने की देय तिथि 31 जुलाई 2022 थी। परन्तु उक्त सूचना आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुई हैं। सूचना तत्काल मण्डल कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें ताकि संमको को अंतिम रूप देकर राज्य सरकार को भिजवाई जा सके।

उक्त सूचना के साथ निम्नलिखित सूचनायें भी अवश्य भिजवायें

(1) मिलान खसरा के कॉलम संख्या 19 से 24 (सिंचित क्षेत्रफल) तथा कॉलम संख्या 31 से 36(एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल) के breakup की सूचना।

(2) नवीन भू. उपयोग वर्गीकरण की सूचना निम्न प्रारुप में (मिलान खसरा के कॉलम संख्या 6 का ब्रेकअप)

प्रारुप

क्रम संख्या	नम तहसील	दलदली अथवा जल भराव वाली भूमि	सामाजिक वानिकी भूमि	भूमि जो पानी में हैं	अन्य भूमि	योग
1	2	3	4	5	6	7

पत्र को उच्च प्राथमिकता देवें।

भवदीया

(हस्ताक्षर)

(बीना वर्मा)
निदेशक (सांख्यिकी)
राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर

कार्यालय जिला कलक्टर
(भू-अभिलेख) भीलवाड़ा

क्रमांक :- भू.अ./सां/मि.ख./2022/68770 दिनांक 01/09/22

प्रतिलिपि :- मूल ही तहसीलदार समस्त जिला भीलवाड़ा को भेजकर लेख है कि पत्र मे दिये गये निर्देशानुसार मिलान खसरा तैयार कर अविलम्ब इस कार्यालय को भिजावे।

(हस्ताक्षर) 1.9.22

तहसीलदार (भू.अ.)
कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा